एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने एक नयी ज़मीन-स्तरीय जांच में फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान, दिल्ली पुलिस द्वारा किये गए कई मानवाधिकार उल्लंघनों का दस्तावेज़ीकरण किया है। इन उल्लंघनों में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों द्वारा दंगाइयों के साथ हिंसा में शामिल होना; हिरासत में कैदियों को प्रताड़ित करना; प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल का उपयोग करना; शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विरोध स्थलों को तोड़ा जाना और दंगाइयों द्वारा हिंसा kiye jaane के बावजूद मूकदर्शक बने रहना शामिल है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया
नई दिल्ली / बेंगलुरू
28 अगस्त 2020
जांच ब्यौरा

भारत: मानवाधिकार उल्लंघनों के सबूत के बावजूद, दिल्ली में दंगों के छह महीने बाद भी दिल्ली पुलिस की गैर-जवाबदेही बरकरार

छह महीने पहले, फरवरी 2020 में, भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। यह दंगे 23 से 29 फरवरी तक, छह दिनों तक चले। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दंगों में कम से कम 53 लोगों की जान गयी और 500 से अधिक लोग घायल हुए। इन छह महीनों के दौरान, दंगों की जांच में दिल्ली पुलिस ने 750 से अधिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़.आई.आर) और कम से कम 200 आरोप पत्र दायर किए हैं।

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अब तक, दिल्ली पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया है और अदालत में दाखिल किये गए अपने हलफनामों में कई प्रोफेसरों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का उल्लेख भी किया है। इनमें, यह आरोप लगाया गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले छात्र, प्रोफेसर और मानवाधिकार कार्यकर्ता, इन दंगों के असल मुख्य साजिशकर्ता हैं। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि आरोपियों ने भारत की केंद्र सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के लिए इस हिंसा को अंजाम दिया। ऐसी ही एक छात्रा हैं सफूरा ज़रगर, एक गर्भवती महिला जिन पर गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दायर किया गया है और दंगों में उनकी कथित भूमिका के लिए उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान जेल भेज दिया गया था। उसके बाद से, उन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया। लेकिन अब तक, दंगों से ठीक पहले हिंसा की वकालत करते हुए भड़काऊ भाषण देने वाले एक भी राजनेता पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा प्रस्तुत की जा रही इस जाँच के ब्यौरे का संबंध दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही जाँच से नहीं है। इसका संबंध सीधे सीधे दिल्ली पुलिस से है। जहाँ एक तरफ़ दिल्ली पुलिस दंगों के लिए ज़िम्मेदार लोगों की जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ़ दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों की अब तक कोई जांच नहीं हुई है।

दंगों के कुछ दिनों बाद, 11 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा (संसद के निचले सदन) में दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा "*घनी आबादी वाले इलाके में केवल 36 घंटों में दंगों को नियंत्रित करना और उन पर पूर्ण विराम लगाना बहुत मुश्किल काम है। मुझे कहना होगा कि दिल्ली पुलिस ने सराहनीय काम किया है*"।

लेकिन, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा इकट्ठा की गयी जानकारी पुलिस द्वारा kiye gaye 'सराहनीय' काम की ओर कतई इशारा नहीं करती है। इसके बजाय, इनके ज़रिये मानवाधिकार उल्लंघनों और बड़े पैमाने पर दण्डमुक्ति से उत्प्रेरित कार्रवाई का एक पैटर्न उभर कर आता है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने 50 से अधिक दंगा पीड़ितों, चश्मदीद गवाहों, वकीलों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों के साथ बात की। हमने दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस की भूमिका का विश्लेषण करने के लिए ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर मौजूद कई वीडियोस का भी विश्लेषण किया। इन वीडियोस में दिल्ली पुलिस को दंगाइयों के साथ मिलकर पथराव करते हुए, लोगों को प्रताड़ित करते हुए, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे विरोध स्थलों को ध्वस्त करते हुए, और दंगाइयों द्वारा की जा रही हिंसा को देखने के बावजूद मूकदर्शक बने हुए देखा जा सकता है।

उपयोगकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो में देखे जाने वाले मानवाधिकार उल्लंघनों के सबूत की विश्वसनीयता की पुष्टि करने के लिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की क्राइसिस एविडेंस (संकट साक्ष्य) लैब का सहयोग लिया। यह लैब अत्याधुनिक, ओपन-सोर्स और डिजिटल जांच उपकरणों के ज़रिये गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का विश्लेषण और उनकी पुष्टि करने का काम करती है। क्राइसिस एविडेंस लैब ने वीडियो के समय, तिथि और स्थान की पुष्टि करके इन वीडियो के असली होने को प्रमाणित किया। इसके अलावा, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने उन स्थानों का दौरा किया जहाँ यह वीडियो रिकॉर्ड किए गए थे और वहाँ मौजूद चश्मदीद गवाहों और पीड़ितों से भी बात की। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने दिल्ली पुलिस से भी संपर्क करने का प्रयास किया| इस ब्रीफिंग के प्रकाशित होने तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया साझा नहीं की गयी है।

"*दिल्ली पुलिस, केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) को रिपोर्ट करती है और यह चौंकाने वाली बात है कि MHA की ओर से अब तक दिल्ली पुलिस को जवाबदेह ठहराने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, बावजूद इसके कि उनके कई उल्लंघनों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव दिखाया गया। इन उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण करते हुए, इन छह महीनों के दौरान कई समाचार और तथ्य-खोजी रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं। इसमें दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग (DMC) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट भी शामिल है। लेकिन अभी तक पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस जांच ब्यौरे में हमने छात्रों, नागरिक समाज संगठनों, पत्रकारों, वकीलों और DMC द्वारा दिल्ली पुलिस को जवाबदेह ठहराने के लिए किये जा रहे काम को आगे ले जाने की कोशिश की है। दिल्ली पुलिस को सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई से दी गयी खुली छूट यह संदेश देती है कि पुलिस कोई भी गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन कर सकती है और उन्हें इसके लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा। वे सभी क़ानूनों के परे हैं,*" एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के कार्यकारी निदेशक, अविनाश कुमार ने कहा।

यह जाँच ब्यौरा फरवरी 2020 में दंगों की पूर्व-घटनाओं से शुरू होता है। इसमें राजनीतिक नेताओं द्वारा दिए गए घृणा-पूर्ण राजनीतिक भाषणों और दिल्ली में विश्वविद्यालय परिसरों में पुलिस की बर्बरता के घटनाक्रम का दस्तावेजीकरण किया गया है। इसके बाद दंगों को रोकने में दिल्ली पुलिस की अपर्याप्त प्रतिक्रिया का दस्तावेजीकरण भी किया गया। अगला भाग, हिंसा में दिल्ली पुलिस के शामिल होने और हिंसा में उनकी सक्रिय भागीदारी पर केंद्रित है। इसमें पीड़ितों को चिकित्सा सेवाओं से वंचित करना, हिंसा में भागीदारी, प्रदर्शनकारियों पर बल का अत्यधिक और मनमाना इस्तेमाल और प्रदर्शनों के प्रति पक्षपात शामिल है। ब्यौरे में आगे, हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा दंगा पीड़ितों और हिरासत में लिए गए लोगो के साथ यातना और दुर्व्यवहार और फिर दंगा पीड़ितों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को उत्पीड़ित करने और डराये-धमकाये जाने का विवरण दिया गया है।

इस जाँच ब्यौरे के अंत में, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा कुछ सिफ़ारिशें पेश की गयी हैं। इसमें सबसे प्रमुख है कि छह महीने पहले फरवरी 2020 में हुई सांप्रदायिक हिंसा और घृणा-आधारित अपराधों की रोकथाम, जांच और अभियोजन में दिल्ली पुलिस की भूमिका की तुरंत, तात्कालिक और स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए।

दंगों के पहले का घटनाक्रम

दिसंबर 2019 के बाद से, संसद द्वारा पारित किये गए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और धरने, देश के बाकी हिस्सों के साथ-साथ दिल्ली में भी देखे गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने सीएए को निरस्त करने का आह्वान किया है, जो धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला एक पक्षपाती कानून है। इस कानून के प्रावधानों से खासतौर पर मुसलमानों को बाहर रखा गया है।

8 फरवरी 2020 को दिल्ली में हुए विधान सभा चुनावों के पहले हुए चुनावी प्रचार के दौरान, कई राजनीतिक नेताओं ने चुनावी रैलियों में सीएए-विरोधी प्रदर्शनकारियों को देश-विरोधी कहते हुए उनके खिलाफ घृणा-पूर्ण भाषण दिए और उनके खिलाफ हिंसा को उकसाया। इन भाषणों के तुरंत बाद विश्वविद्यालय परिसरों में सीएए-विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा की घटनाएँ देखी गयी। दिल्ली चुनावों के बाद भी, इस तरह के घृणापूर्ण भाषणों का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद दिल्ली के उत्तर-पूर्व जिले में व्यापक हिंसा देखी गयी।

अभी तक दिल्ली पुलिस ने इस हिंसा के लिए ज़िम्मेदार अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसने दण्डमुक्ति के व्यापक माहौल को जन्म दिया है। विश्वविद्यालय के परिसरों में पुलिस द्वारा भीड़-नियंत्रण के दौरान की गयी ज़्यादती को वीडियो पर रिकॉर्ड किया गया था, जिन्हें बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला गया और इन्हें एमनेस्टी इंटरनेशनल की क्राइसिस एविडेंस लैब द्वारा सत्यापित किया गया है।

दिल्ली में दंगों के पहले दिए गए प्रमुख नफरत भरे भाषणों और सरकार द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के दमन का घटनाक्रम इस प्रकार है:

सीएए के पारित किये जाने के चार दिन बाद, **15 दिसंबर 2019** को, दिल्ली पुलिस नई दिल्ली जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के परिसर में घुस आई और सीएए-विरोधी छात्र प्रदर्शनकारियों के साथ मार-पीट और कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों ने पुलिस द्वारा की गयी ज़्यादती के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा इन शिकायतों पर अभी तक कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस ने उसके पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के खिलाफ आपत्ति जताई है। इस घटना के सिलसिले में एक विशेष जांच टीम या एक तथ्य-खोज समिति गठित करने की माँग के साथ, अगस्त 2020 में दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गयी जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के खिलाफ भी पुलिस ने आपत्ति जताई थी।

5 जनवरी 2020 को, एक नकाबपोश भीड़ ने दो घंटे से अधिक समय तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) पर हमला किया, और उस दौरान विश्वविद्यालय के दो दर्जन से अधिक छात्र और शिक्षक घायल हुए। भीड़ कथित रूप से सलाख़ों और हथौड़ों से लैस थी, और परिसर की संपत्ति को नष्ट करके, छात्रावास के कमरों में घुस कर और “वामपंथियों को मार डालो”, “देशद्रोहियों को मार डालो” और ”देश के गद्दारों को, गोली

मारो सालों को" के नारे लगाकर, छात्रों को डरा रही थी। जेएनयू के छात्रों और शिक्षकों ने दिल्ली पुलिस के पास भीड़ के खिलाफ कम से कम 40 शिकायतें दर्ज की हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस घटना में अभी तक एक भी एफ़आईआर दर्ज नहीं की है। इसके विपरीत, पुलिस ने परिसर में सीएए-विरोधी प्रदर्शनों में सक्रिय छात्रों के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज करने में काफी तत्परता दिखाई है, जिनमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्षा आऐशी घोष भी शामिल हैं, जिन्हें हिंसक भीड़ ने घायल कर दिया था।

27 जनवरी को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली में मौजूद लोगों से कहा कि "चुनाव में वोटिंग मशीन के बटन को इतने गुस्से से दबाना कि करंट शाहीन बाग को लगे"। सीएए के पारित किये जाने के बाद से, शाहीन बाग देश में सीएए के विरोध का केंद्र-बिंदु बन गया था। देश की राजधानी में होने वाला यह पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण विरोध, काफी हद तक मुसलमान महिलाओं की अगुवाई में संचालित किया जा रहा था। गृह मंत्री ने दर्शकों से कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को दिया गया उनका वोट "देश को सुरक्षित रखेगा और शाहीन बाग जैसी हजारों घटनाओं को रोकने का काम भी करने वाला है"। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है।

27 जनवरी को, शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों की ओर इशारा करते हुए, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, अनुराग ठाकुर ने भीड़ को "*देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को*" का नारा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस नारे का इस्तेमाल अक्सर सीएए के विरुद्ध बोलने वाले लोगों के खिलाफ किया गया है। **28 जनवरी** को, भाजपा के संसद, परवेश वर्मा ने लोगों को बांटने वाले और डर फैलाने वाला एक भाषण देते हुए यह दावा किया कि शाहीन बाग से प्रदर्शनकारी, नागरिकों के घरों में घुस कर "आपकी बहनों और बेटियों का बलात्कार करेंगे और उन्हें मार देंगे"। उसी दिन एक दूसरे भाषण में, उन्होंने दिल्ली में भाजपा के चुने जाने के बाद "एक भी मस्जिद को खड़ा नहीं रहने देने" का वादा किया।

भारत में चुनाव के संचालन से संबंधित विषयों का प्रावधान करने वाले लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 के तहत, विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देना एक अपराध है।

30 जनवरी को, महात्मा गांधी की हत्या की वर्षगांठ पर और अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के भाषणों के तुरंत बाद, एक व्यक्ति ने सीएए-विरोधी प्रदर्शनकारियों के एक समूह पर गोली चला दी, जिससे एक छात्र घायल हो गया और दूर जाते हुए हमलावर बंदूक लहराते हुए चिल्लाया "यह लो आज़ादी"। हमले के वीडियो फुटेज में साफ़ देखा गया कि पुलिस अधिकारी हमलावर पर कार्रवाई करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे थे balki निष्क्रिय खड़े थे।

इस नारे - "हम क्या चाहते? आज़ादी!"- का शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान सीएए-विरोधियों द्वारा व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया था। सामान्य रूप से, इसका मतलब नफरत और हिंसा से आज़ादी की मांग से समझा गया था।

8 फरवरी को दिल्ली में विधान सभा चुनाव हुए। आम आदमी पार्टी (आप) ने चुनाव जीता।

सीएए के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रहे और **15 फरवरी** तक, कई शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों ने सीएए के खिलाफ शांतिपूर्ण धरने के लिए नई दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास सड़क के एक हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया। विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों महिलाएं और छात्र शामिल हुए।

17 फरवरी को, *अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त,* [स्पेशल लीव टू अपील (सी) नंबर 2456/2020] के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने CAA के खिलाफ शाहीन बाग में शांतिपूर्वक विरोध करने वालों के अधिकारों को मान्यता दी। लेकिन न्यायालय ने विरोध के कारण सड़कों जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों को अवरुद्ध किये जाने पर अपनी चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने दो वार्ताकारों को नियुक्त किया जिनकी ज़िम्मेदारी थी प्रदर्शनकारियों को न्यायलय की आशंका से अवगत कराना और उन्हें ऐसी दूसरी जगह पर जाकर विरोध प्रदर्शन जारी रखने का सुझाव देना जहाँ दूसरों को असुविधा न हो।

23 फरवरी को, भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने ट्विटर पर, "एक और शाहीन बाग को रोकने" के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले जाफराबाद विरोध-प्रदर्शन के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उसी शाम, उन्होंने मौजपुर चौक तक एक रैली का नेतृत्व किया, जो जाफराबाद विरोध स्थल से सिर्फ एक किलोमीटर की दूरी पर है। रैली को संबोधित करते हुए, उन्होंने दिल्ली पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए तीन दिन की मोहलत (अल्टीमेटम) दी, जिसे सोशल मीडिया पर लाइव दिखाया गया। उनकी बगल में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) की मौजूदगी के साथ, कपिल मिश्रा ने कहा, *"ये चाहते हैं कि दिल्ली में आग लगी रहे, इसीलिए इन्होने रस्ते बंद किये, इसीलिए दंगों जैसा माहौल बना रहे हैं, हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है, डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं, मैं आप सबके बेहल्फ़ (बिनाह) पर यह बात कह रहा हूँ, ट्रम्प के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो, ट्रम्प के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करा दीजिये, हम आपसे विनती कर रहे हैं, उसके बाद हमें रोड पर आना पड़ेगा"*। दिसंबर 2019 से, कपिल मिश्रा ने ऐसे कई जुलूसों और रैलियों का नेतृत्व किया है जिनके दौरान घृणापूर्ण नारे लगाए गए हैं।

23 फरवरी की शाम को, कपिल मिश्रा के भाषण के कुछ घंटों के बाद, दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई और **29 फरवरी** तक जारी रही। जिन इलाकों में दंगे हुए, वे थे: भजनपुरा, चांदबाग, गोकुलपुरी, जाफराबाद, कर्दमपुरी, करावल नगर, सीलमपुर, शिवपुरी और शिव विहार। ये सभी इलाके दिल्ली के उत्तर-पूर्व जिले में आते हैं।

24 और 25 फरवरी को, डोनल्ड ट्रम्प, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, 'नमस्ते ट्रम्प' कार्यक्रम के लिए भारत के दौरे पर आए। 24 फरवरी से 25 फरवरी की शाम तक वे दिल्ली में ही थे।

दिल्ली में हिंसा के फैलने के दौरान, **26 फरवरी को**, दिल्ली उच्च न्यायालय ने *हर्ष मंदर बनाम दिली सरकार एवं अन्य* डब्ल्यू.पी. (क्री.) 565/2020, के मामले में दिल्ली पुलिस को कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, अभय वर्मा और घृणापूर्ण भाषण देने वाले एक अन्य विधायक के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने पर "एक सचेत निर्णय लेने" का आदेश दिया गया। लेकिन, इन राजनीतिक नेताओं के खिलाफ अभी तक भी कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

देश में कोविड-19 को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन के चलते शाहीन बाग और अन्य स्थलों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को रोक दिया गया।

24 मार्च 2020 को, जिस दिन राष्ट्रीय-व्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग में शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए शांतिपूर्वक विरोध कर रही नौ महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें उनपर लोक सेवक द्वारा जारी किये गए आदेश की अवज्ञा करने, लोक सेवक के कार्यों के निर्वहन में बाधा डालने और लोक सेवक को रोकने के लिए हमला करने और आपराधिक बल का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने से संबंधित एक याचिका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित होने के बावजूद, दिल्ली पुलिस ने शहर भर में विरोध स्थलों को ध्वस्त कर दिया, सीएए-विरोधी कलाकृतियों को ढक दिया और दीवारों पर बनाए गयी कलाकृतियों को मिटा दिया।

(कोष्ठ)

नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार (ICCPR), जिसपर भारत ने भी हस्ताक्षर किये हैं, उसके अनुच्छेद 20(2) के तहत, भेदभाव, शत्रुता या हिंसा को बढ़ावा देने वाली किसी भी राष्ट्रीय, नस्लीय या धार्मिक घृणा के प्रसार को प्रतिबंधित किया गया है।

भेदभाव, शत्रुता या हिंसा उकसाने वाली राष्ट्रीय, नस्लीय या धार्मिक घृणा को बढ़ावा देने पर प्रतिबंध से संबंधित रबात क्रिया योजना के तहत, किसी कथन के ICCPR के अनुच्छेद 20 के तहत अपराध होने पर निर्णय लेने के लिए छह-स्तरीय कसौटी का प्रस्ताव रखा गया है।

इस निर्णय में निम्नलिखित कसौटियाँ शामिल हैं: 1) कथन का संदर्भ, 2) कथन कहने वाले का समाज में स्थान या ओहदा, 3) बढ़ावा देने या उकसाने का इरादा, 4) कथन की सामग्री और स्वरूप, 5) कथन की पहुंच की व्यापकता और 6) कथन से वास्तविक कृत्य उकसाए जाने की संभावना।

दिल्ली में हिंसा से पहले विभिन्न राजनीतिक नेताओं - जिनमें से कई सरकारी पदों पर भी हैं - द्वारा दिए गए भाषण, रबात क्रिया योजना के तहत प्रस्तावित कसौटियों पर आपराधिक सीमा का उल्लंघन करते प्रतीत होते हैं। भाषणों के दिए जाने के दौरान मौजूद अशांत सामाजिक और राजनीतिक माहौल, भाषण देने वाले राजनीतिक नेताओं की समाज में प्रतिष्ठा, प्रदर्शनकारियों पर सीधे तौर पर हिंसा का आह्वान करने वाला, भाषणों का उत्तेजक स्वरूप, चुनावी रैलियों में दर्शकों की बड़ी भीड़ और सीएए-विरोधी प्रदर्शनकारियों पर बार-बार होने वाली गोलीबारी और हमलों के साथ-साथ दंगाइयों द्वारा मस्जिदों को जलाये जाने की वास्तविकता, यह सब राजनीतिक नेताओं के दोषी होने की ओर इशारा करता है।

भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधान भी घृणापूर्ण भाषा को नियंत्रित करते हैं। लेकिन, भारतीय चुनाव आयोग के अनुराग ठाकुर को 'सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की संभावना' पैदा करने वाले भाषण देने के लिए नोटिस जारी करने और जनता द्वारा बार-बार राजनीतिक नेताओं को जवाबदेह ठहराने के आह्वान के बावजूद, दिल्ली पुलिस ने 14 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा द्वारा दिल्ली के दंगों को भड़काने में भूमिका निभाने या उनमें भाग लेने का कोई सबूत नहीं है।
(कोष्ठ)

दंगों की रोकथाम में पुलिस की विफलता

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कई दंगा पीड़ितों से बात की जिन्होंने कपिल मिश्रा के 'अल्टीमेटम' वाले भाषण के बाद भड़की हिंसा को अपनी आँखों से देखा था। हिंसा के दौरान अंजाम दिए गए घृणा-आधारित अपराधों के प्रति दिल्ली पुलिस की अपर्याप्त प्रतिक्रिया, विभिन्न तरीकों से उभर कर आयी। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया से बात करने वाले ज़्यादातर व्यक्तियों ने कहा कि पुलिस ने उनके द्वारा आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर (100) पर किए गए कई फ़ोन का जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से, छह दिनों तक चली हिंसा के दौरान लोगों को अपने बचाव के लिए पुलिस की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिली।

मोइनुद्दीन, एक दंगा पीड़ित, जिनकी मौजपुर में स्थित दुकान को दंगाइयों ने जला दिया था, ने 23 फ़रवरी को मौजपुर चौक में कपिल मिश्रा का भाषण देखा था। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, *"मेरी दुकान से, मौजपुर चौक लगभग 100 मीटर दूर है। वहाँ पर, मैंने देखा कि कपिल मिश्रा आए और उन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया। उनके भाषण के बाद, भाषण सुन रही जनता लाठी और अन्य हथियार इकट्ठा करने लगी। मैं डर गया और मैंने अपनी दुकान बंद कर दी। कुछ ही घंटों में, मुझे पता चला कि मेरी दुकान को आग लगा दी गई है। मैंने दमकल (फायर ब्रिगेड) को फोन किया लेकिन उन्होंने मेरे फोन का जवाब नहीं दिया। मैं ब्रह्मपुरी में रहता हूँ, जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों की दुकानें हैं। हम दंगों से पहले तक शांति से रहते हुए आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दिल्ली में अब क्या हो रहा है"*।

23 फरवरी की शाम को मौजपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, शुरुआती कुछ घंटों में मुसलमानों और हिंदुओं दोनों की ओर से बराबर हमले देखे गये। लेकिन बाद में दंगाई घातक और कम घातक हथियारों के साथ मुसलमान बहुलता वाले इलाकों में घुस आए, और पुलिस ने दंगों पर काबू पाने की कोई कोशिश नहीं की। नतीजतन जल्द ही संतुलन एक तरफ झुकने लगा। दंगे जल्द ही अन्य इलाकों में फैल गए।

मीडिया चैनल NDTV द्वारा 29 फ़रवरी को प्रसारित एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस को हिंसा के दौरान मदद के लिए 13,000 से अधिक फ़ोन आए। दंगा पीड़ितों और प्रत्यक्षदर्शियों ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को बताया कि दिल्ली पुलिस अगर समय पर आती तो हिंसा को रोका जा सकता था। कई लोगों ने हिंसा के पूर्व-नियोजित होने की ओर भी इशारा किया।

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया से बात करते हुए, नवाब अली, एक दंगा पीड़ित ने कहा, *"हम उन्हें फोन करते रहे लेकिन वे नहीं आए। शाम 4 बजे से 1 बजे तक हम उन्हें लगातार फ़ोन कर रहे थे। हम सिर्फ ज़िंदा बचना चाहते थे। वे लोग बहुत खतरनाक थे। यह कोई अपने आप जमा हुई भीड़ नहीं थी। एक विशाल हुजुम था और उनके पास हर तरह के हथियार थे"*।

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कई पीड़ितों से बात की जिनका कहना है कि हिंसा के दौरान जिन गंभीर ख़तरों का दंगा पीड़ितों ने सामना किया, उनके प्रति दिल्ली पुलिस पूरी तरह से बेपरवाह थी। दंगों के दौरान आगजनी में अपना घर गँवा चुकी एक दंगा पीड़ित, शबनम ने कहा, *"मेरे पति ने पुलिस को फोन किया, मेरे पिता ने उन्हें फोन किया, कई बार। उन्होंने पूछा, 'हमें अपना पता बताओ, हमें बताओ कि आप कहाँ रहते हैं'। हमने उन्हें अपना पता बताया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आया। जब हमारा घर जलाया गया, तब भी हमने लगभग 1 बजे पुलिस को फोन किया। तब, पुलिस ने कहा, 'आप हमें ओर कितना परेशान करेंगे? हम पुलिस वैन भेज रहे हैं।"*

एक अन्य दंगा पीड़ित, कमलेश उप्पल ने भी पुलिस को फोन करने के अपने असफल प्रयास का दर्दनाक अनुभव सुनाया, *"दोपहर में, उन्होंने मेरे घर के ताले तोड़ कर उसे जला दिया। हम पिछले 22 वर्षों से वहाँ रह रहे थे और उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। हमने इतनी मेहनत से अपना घर बनाया था लेकिन लोगों ने इसे जला दिया। हमने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, हमने सोचा कि वे आकर कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करेंगे, लेकिन हमारे इलाके में आने में उन्हें तीन दिन से भी ज़्यादा समय लग गया।"*

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा दंगा पीड़ितों के साथ किये गए साक्षात्कारों से यह सामने आता है कि जब पीड़ितों ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो उनका आमतौर पर जवाब था "ये लो आज़ादी", जो जाहिर है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए नारे *"हम क्या चाहते? आज़ादी!"* के जवाब में कहा गया था।

दंगों से प्रभावित शाहिदा, जिन्होंने दंगाइयों को मस्जिद जलाते हुए और घरों को जलाने के मकसद से उनके अंदर बोतलें फेंकते हुए देखा, कहती हैं, *"हमने 100 - आपातकालीन नंबर - पर कई बार फोन किया लेकिन एक बार भी किसी ने जवाब नहीं दिया। जब आखिरकार उन्होंने हमारे फोन का जवाब दिया तो उन्होंने हमसे कहा, "तुम आज़ादी चाहते थे न, अब ले लो अपनी आज़ादी।"*

मोहम्मद इमरान, जिन्होंने दिल्ली पुलिस को कम से कम 10 बार फोन किया था, कहते हैं, *"जब पुलिस ने फोन उठाया और हमसे बात की, तो उन्होंने हम पर चिल्लाते हुए कहा, 'तुम आज़ादी चाहते थे न, अब ले लो अपनी आज़ादी'। जब हमने मदद के लिए फ़ोन किया, तो उन्होंने हमसे इस तरह बात की।"*

हर्ष मंदर, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता, दिल्ली स्थित गैर-सरकारी संगठन, कारवाँ-ए-मोहब्बत के संस्थापक और पूर्व सरकारी अफसर ने, अपने अनुभव के आधार पर दिल्ली पुलिस की मिलीभगत को रेखांकित किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, *"मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में रहा हूं। मैंने खुद कई दंगे नियंत्रित किये हैं। मैंने आईएएस छोड़ने के बाद भी दंगों का बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। कोई तथाकथित 'दंगा' राज्य और पुलिस की रज़ामंदी के बिना कुछ घंटों से अधिक समय तक नहीं चल सकता। सच्चाई यह है कि इन दंगों के होने के आसार पहले से ही नज़र आ रहे थे और यहाँ तक कि आम लोग भी जानते थे, इस इलाके में हर कोई जानता था। अगर (घृणापूर्ण) भाषण देने वाले लोगों को हिरासत में लिया गया होता, अगर पुलिस ने (हिंसा भड़काने वालों पर) सख़्त कार्रवाई की होती, तो यह बिल्कुल भी नहीं होता।"*

दिल्ली पुलिस ने अपने एक आरोपपत्र में विरोध प्रदर्शनों के हिंसक होने के कारणों में हर्ष मंदर द्वारा 16 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में दिए गए एक भाषण का उल्लेख किया है। इस भाषण में, शांतिपूर्ण विरोध की वकालत कर रहे हर्ष मंदर ने कहा, "मैं आज एक नारा लगाऊंगा -- हम किस लिए लड़ रहे हैं और हम किसके लिए लड़ रहे हैं? यह लड़ाई हमारे देश के लिए है, फिर हमारे संविधान के लिए है, और फिर मोहब्बत के लिए है"।

विभूति नारायण राय, जो उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, वे 1987 में हुए हाशिमपुरा नरसंहार के समय गाज़ियाबाद के पुलिस अधीक्षक थे। इस हत्याकांड में उत्तर प्रदेश की प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) के जवानों द्वारा 42 से अधिक मुसलमानों की हत्या की गयी थी। विभूति नारायण राय ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। 2018 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीएसी के 16 जवानों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया से बात करते हुए

उन्होंने कहा, *"सांप्रदायिक दंगे सरकार की अनुमति के बिना 24 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकते हैं। अगर दंगा 24 घंटे से अधिक समय तक जारी रहता है, तो आपको राज्य की मंशा पर सवाल उठाना होगा।"*

(कोष्ठ)
नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार, जिसपर भारत ने भी हस्ताक्षर किये हैं, उसके अनुच्छेद 21 के तहत शांतिपूर्ण रूप से सम्मिलित होने के अप्रतिबंधित अधिकार को मान्यता दी गयी है जब तक कि यह "राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य या नैतिकता की रक्षा या दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के हितों" के विरुद्ध न हो।

इस अधिकार को सीमित करने वाले प्रावधान इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की खुली अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन, अगर राज्य शांतिपूर्ण रूप से सम्मिलित लोगों को उनकी सुरक्षा से संबंधित गंभीर ख़तरों से बचाने में असमर्थ हो, तो प्रतिभागियों और सम्मेलन के व्यवहार के व्यक्तिगत या विशिष्ट मूल्यांकन के आधार पर, कम से कम पाबंदी लगाने वाले उपायों से शुरू करते हुए, इन प्रतिबंधों को लागू किया जा सकता है। निरंकुश प्रतिबंध आम तौर पर गैर-अनुपातिक होते हैं और इसलिए इस तरह के प्रतिबंधों को लागू किये जाने से बचना चाहिए।

इसके लिए, कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सम्मेलन में शामिल विभिन्न पक्षों के बीच बातचीत को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना चाहिए - सम्मेलन से पहले और सम्मेलन के दौरान - जिसका उद्देश्य तत्परता सुनिश्चित करना, तनाव को कम करना और विवादों को हल करना हो।[1]

अतीत में, विरोध की वैध अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करने के लिए अधिकारियों द्वारा गैर-कानूनी या हिंसक सम्मेलनों को प्रतिबंधित करने वाली, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत अक्सर और तत्परता के साथ आदेश जारी किये गए हैं। लेकिन, दिल्ली के उत्तर-पूर्व जिले में, इस धारा को हिंसा भड़कने के कम से कम एक दिन बाद की देरी से लागू किया गया। और यह सब, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 144 के सिर्फ आपातकाल की स्थितियों में और किसी व्यक्ति के द्वारा सामना की जाने वाली बाधा या दिक्कत या क्षति को रोकने के उद्देश्य के लिए ही उपयोग किये जाने को रेखांकित करने के बावजूद।
(कोष्ठ)

पुलिस की सहभागिता और क़ानून व्यवस्था नियंत्रित कर पाने में विफलता

एमनेस्टी इंटरनेशनल की क्राइसिस एविडेंस लैब के सहयोग से एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने सोशल मीडिया पर प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा डाले गए विभिन्न वीडियो का विश्लेषण और सत्यापन किया। यह वीडियो दंगों के दौरान रिकॉर्ड किए गए थे और इनमें दिल्ली पुलिस को विभिन्न मानवाधिकारों के उल्लंघन करते हुए देखा जा सकता है। दंगों के बाद, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने उन स्थानों का दौरा किया जहाँ इन वीडियो को रिकॉर्ड किया गया था और वहां के स्थानीय लोगों से बात भी की।

[1] मानवाधिकार समिति, सामान्य टिप्पणी 37, अनुच्छेद 21: शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, यूएन, डॉक सीसीपीआर/सी/जीसी/37, पेरा 38 एंड 76.

हमने पाया कि दिल्ली में हिंसा के दौरान हुई कई घटनाओं में पुलिस अधिकारियों का व्यवहार गहन चिंता का विषय है क्योंकि पुलिस अधिकारियों ने 1) मौजूद होने के बावजूद घटनों में हस्तक्षेप नहीं किया 2) सिर्फ सीएए-विरोधी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने या उन पर हमला करने के लिए हस्तक्षेप किया, और 3) पीड़ितों की शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में, दिल्ली पुलिस अधिकारियों को 24 फरवरी के दिन पांच घायल लोगों को लात मारते और पीटते हुए, उन्हें राइफलों से कोंचते हुए और भारतीय राष्ट्रगान को गाने के लिए कहते हुए देखा जा सकता है।

(कोष्ठ)
पुलिस को कानून लागू करने के लिए बल और हथियारों का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन, बल का उपयोग केवल कानून के दायरे के अंदर और विभिन्न मानवाधिकारों पर इस उपयोग के होने वाले गंभीर प्रभावों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, जिनमें जीवन, शारीरिक और मानसिक अखंडता, मानव गरिमा, गोपनीयता, और आवाजाही की स्वतंत्रता के अधिकार शामिल हैं।

गंभीर रूप से घायल पुरुषों के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया निर्मम व्यवहार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन करता है जिनके तहत बल के उपयोग की अनुमति सिर्फ अंतिम विकल्प के रूप में दी गयी है, और उसी मात्रा और अनुपात में जो इस तरह के उपयोग के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है।

अनुपात के सिद्धांत का मतलब है कि कानून लागू करने वाले अधिकारियों को किसी के जीवन को जोखिम में डालने की अनुमति सिर्फ़ तब दी जाती है जब यह किसी दूसरे के जीवन को बचाने के उद्देश्य से हो। भारतीय कानून में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 और 130 के तहत, पुलिस अधिकारियों और सशस्त्र बलों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट या थाना-प्रभारी के आदेश पर गैरकानूनी रूप से सम्मिलित लोगों को तितर-बितर करने के लिए केवल आवश्यक या 'थोड़े ' बल का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है।
(कोष्ठ)

लेकिन इस वीडियो में, ऐसा कोई भी ख़तरा नज़र नहीं आता है जिसके आधार पर इन पुरुषों के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को वैध ठहराया जा सके।

वीडियो के रिकॉर्ड किये जाने के बाद, पांचों लोगों को उसी दिन पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहां उन्हें हिरासत में रखा गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने वीडियो फुटेज का विश्लेषण करने के अलावा, वीडियो में मौजूद पुरुषों में से एक, 26 वर्षीय फैजान की माँ से भी बात की। फ़ैज़ान की माँ, किस्मतून ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को बताया कि उन्होंने यह वीडियो कई बार देखा था, लेकिन उन्हें बहुत बाद में इसका अहसास हुआ कि उनका बेटा भी वीडियो में है। उन्होंने कहा *“मैं अपने बेटे की तस्वीर अपने साथ ले कर पुलिस स्टेशन गयी। मैंने उन्हें यह तस्वीर दिखाई और पूछा कि क्या मेरा बेटा वहाँ है, और उन्होंने हाँ में जवाब दिया। मैंने उनसे पूछा कि क्या वे मुझे उसे देखने देंगे और क्या वे उसे रिहा करेंगे। पुलिस वालों ने इंकार कर दिया। लेकिन मैंने फिर भी रात के 1 बजे तक वहाँ इंतजार किया”*।

फैजान को पुलिस ने बिना किसी आरोप के करीब 36 घंटे तक हिरासत में रखा। उसकी हालत बिगड़ने पर उसे 26 फ़रवरी को सुबह एक बजे उसकी माँ को सौंप दिया गया। पुलिस ने, फैजान को हिरासत में रखे जाने से जुड़े दस्तावेज़ों को उसके परिवार को देने से भी इनकार कर दिया।

(कोष्ठ)
नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय क़रार (ICCPR) के अनुच्छेद 9 के अनुसार हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी को भी इस तरह की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके तहत गिरफ्तार किये जाने पर, हर व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों के बारे में तुरंत सूचित किये जाने का अधिकार है और उन्हें यथासमय न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह उन परिस्थितियों में भी लागू होता है जहाँ औपचारिक रूप से आरोप नहीं निर्धारित किये गए हों।

1997 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने *डी.के. बासु* बनाम *पश्चिम बंगाल सरकार* (1997) 1 एससीसी 416 के मामले में दिए गए फैसले में हिरासत में दुर्व्यवहार और यातना को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किये थे। इन्हें उसके बाद से दंड प्रक्रिया संहिता में शामिल कर लिया गया है। इन दिशा-निर्देश और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41बी के तहत, हिरासत में लेते वक़्त पुलिस द्वारा अपनी पहचान बताई जानी चाहिए और गिरफ्तारी का मेमो तैयार किया जाना चाहिए जिसपर गिरफ्तारी की तारीख और समय के साथ साथ एक स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर और गिरफ्तार किये गए व्यक्ति के प्रति-हस्ताक्षर होने चाहियें। इनके तहत यह भी निर्धारित किया गया है कि परिवार के किसी व्यक्ति या मित्र को गिरफ्तारी की और हिरासत में रखे जाने की जगह की सूचना दी जानी चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 के तहत यह भी निर्धारित किया गया कि हिरासत में लिए जाने के बाद, गिरफ्तार व्यक्तियों की चिकित्सीय जांच की जानी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(2) तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 के अंतर्गत, पुलिस को गिरफ़्तारी के 24 घंटे के अंदर हर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की भी आवश्यकता होती है।
(कोष्ठ)

फैजान के मामले में, दिल्ली पुलिस द्वारा सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को साफ़ तौर पर दरकिनार कर दिया गया।

"मैंने उनसे पूछा कि वे मुझे देर रात पुलिस स्टेशन के अंदर क्यों बुला रहे हैं जब पिछली रात ही उन्होंने मुझे बताया था कि महिलाओं को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मुझे अपने बेटे को सौंपें जाने के बाद मैंने उनसे यह बात कही। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपने बेटे के वापस मिलने का शुक्र मनाना चाहिए और मुझे जाने के लिए कहा। उन्होंने एक छोटा बयान लिखा, जिसकी एक फोटोकॉपी मैंने, अपने बेटे के हिरासत में रखे जाने के सबूत के तौर पर मांगी। उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया और मुझसे अपने बेटे को लेकर तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहा," किस्मतून ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को बताया।

फैजान की माँ फिर अपने बेटे को एक क्लिनिक ले गई जहाँ डॉक्टरों ने हफ़पोस्ट जैसे मीडिया संस्थानों को बताया कि उसके "सिर पर एक खुला घाव और हर जगह खून के थक्के" थे और उसकी "नाड़ी धीमी पड़ रही थी"। फैजान

को उसके परिवारवालों ने 26 फरवरी की दोपहर को नई दिल्ली के लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ हालत गंभीर होने के बाद उसकी मौत हो गई। कई वीडियो साक्ष्यों के बावजूद, दिल्ली पुलिस ने फैजान को प्रताड़ित किये जाने या उसे गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखे जाने से साफ़ इनकार किया है।

(कोष्ठ)
अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, कानून लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा बल के उपयोग के परिणामस्वरूप होने वाली मृत्यु के किसी भी मामले में एक त्वरित, प्रभावी, संपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए, चाहे उस मौत के गैर-कानूनी होने का संशय हो या आरोप हो।

यदि जाँच के दौरान घटना में शामिल किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा की गया कोई अपराध सामने आता है, तो ऐसे सबूत को संबंधित अभियोजन अधिकारियों को भेजा जाना चाहिए। इस तरह की जांच करने में विफलता, जीवन के अधिकार का सम्मान और रक्षा करने और एक प्रभावी निवारण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के भारत के दायित्वों का उल्लंघन होगा।

फैजान को दी गयी यातना और बाद में मौत की जांच नहीं किया जाना, दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए उन उल्लंघनों की ओर इशारा करती है, जिनकी जांच होना अभी बाकी है।
(कोष्ठ)

एक दूसरे वीडियो में, जिसे खजूरी खास-वजीराबाद रोड पर रिकॉर्ड गया था, पुलिसकर्मियों को दंगाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए और पत्थर और आँसू गैस के गोले दागते हुए देखा जा सकता है, जबकि हमले का निशाना बनी एक इमारत को धुआँ उगलते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में खजूरी खास पुलिस चौकी भी दिखाई दे रही है जो चाँद बाबा सैयद की मज़ार से मुश्किल से 15 कदमों की दूरी पर है। इस मज़ार में तोड़-फोड़ की गयी और उसकी दीवारें भी जला दी गईं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की क्राइसिस एविडेंस लैब ने इस वीडियो के समय, तिथि और स्थान की पुष्टि की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भूरे खान से बात की, जिनके घर को भी बख्शा नहीं गया। वो इस इमारत की पहली मंज़िल पर रहते हैं और इमारत की निचली मंज़िल की दुकानों के मालिक भी हैं।

"वे 'जय श्री राम' के नारे लगा रहे थे। पहले उन्होंने मेरी कार और मोटरसाइकिल को आग लगा दी। हम आग की लपटों को बुझाने लगे लेकिन फिर उन्होंने हम पर आँसू गैस के गोले फेंके। वे ठीक यहीं थे। मेरे भाई को एक पत्थर मारा गया। हमें मालूम हो गया कि पुलिस दंगाइयों के साथ मिली हुई है, इसलिए मैंने उन्हें (मेरे परिवार को) कहा कि सब कुछ छोड़ कर भाग जाना ही बेहतर है," भूरे खान ने कहा।

भूरे खान का दावा है कि जब दंगाइयों ने उनके घर को जला दिया, तो उन्होंने पुलिस और दमकल को बार-बार फोन किया लेकिन कोई उनकी मदद करने नहीं आया।

"हमने पुलिस के आपातकालीन नंबर (100) पर फ़ोन किया लेकिन कोई पुलिस वैन नहीं आई। कोई जवाब नहीं मिला। 6:30 बजे, हमने फिर फोन किया। फायर ब्रिगेड फिर साढ़े सात बजे आई और आग को पूरी तरह से बुझाया। हमने कहा 'अगर आप पहले आए होते तो हमारे घर को बचाया जा सकता था'। उन्होंने बताया कि इलाके

में पथराव हो रहा था। अगर पथराव हो रहा था, तो उन्होंने पुलिस की सहायता क्यों नहीं ली? हमें खुद से आग बुझाने की इजाज़त भी नहीं दी गयी," उन्होंने कहा।

एमनेस्टी इंटरनेशनल की क्राइसिस एविडेंस लैब द्वारा सत्यापित किये गए एक तीसरे वीडियो में, दंगाइयों को अशोक नगर में एक मस्जिद के साथ तोड़-फोड़ करते हुए और इसकी एक मीनार पर भगवा झंडा फहराते हुए देखा जा सकता है, जबकि वहाँ मौजूद भीड़ जयकारा लगा रही है। 1974 में बनी मस्जिद मौला बख्श के साथ, 25 फरवरी से लेकर 27 फ़रवरी तक, तीन दिनों के दौरान दंगाइयों द्वारा तोड़-फोड़ की गयी, उसे तहस-नहस किया गया और फ़िर आग लगा दी गई। पहला हमला को दोपहर एक बजे हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने मस्जिद के नायब इमाम और मुअज्जिन, सैयद ज़हीर हुसैन के साथ बात की।

"दंगाइयों ने पूरी मस्जिद को तोड़ दिया और आग लगा दी। उन्होंने मेरा घर भी तोड़ दिया। सब कुछ राख हो जाने के बाद जब उन्हें पता चला कि हमने पड़ोस के घर में शरण ली है तो वे वहाँ भी पहुँच गए। उन्होंने दरवाज़ा खोला और ऊपर चढ़ना शुरू किया। हमने अपनी सुरक्षा के लिए पानी में मिर्च पाउडर मिला कर रखा था। हम लगातार आपातकालीन नंबर (100) पर फ़ोन करते रहे, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। हम पुलिस से संपर्क नहीं कर पाए," उन्होंने कहा।

(कोष्ठ)
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून सभी प्रकार के भेदभाव पर सख्ती से रोक लगाता है। किसी के साथ भी उसकी जाति, लिंग, यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान, धर्म या मान्यता, राजनीतिक या अन्य प्रकार की राय, जातीयता, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, विकलांगता या अन्य स्थिति के कारण कानून लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा पक्षपाती व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। कानून के तहत सभी को समान व्यवहार का अधिकार है।

मानवाधिकार परिषद ने अपने प्रस्ताव 6/37 में राज्यों से "धार्मिक स्थानों, स्थलों, तीर्थस्थलों और प्रतीकों का पूरी तरह से सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने और खासतौर पर उन मामलों में अतिरिक्त एहतियात बरतने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है जहाँ तोड़-फोड़ या अपवित्रीकरण का ख़तरा ज़्यादा हो"।

हालांकि भारत में पुलिस प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाली दंड प्रक्रिया संहिता में गैर-भेदभाव के पहलू का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन 1985 में भारतीय पुलिस के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता में कहा गया है कि:

"एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य के सदस्यों के रूप में, पुलिस को व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने और भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और साझा भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए, धार्मिक, भाषाई या संप्रदाय पर आधारित विभाजनों के ऊपर उठना चाहिए और महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों की गरिमा को आहत करने वाली प्रथाओं का त्याग करना चाहिए"।
(कोष्ठ)

भारत में गैर-भेदभाव और समानता पर पुलिस के प्रशिक्षण पर ध्यान देने की कमी के बारे में बात करते हुए विभूति नारायण राय ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को बताया कि जब पुलिस अधिकारी 'हम' और 'वो' की शब्दावली में बात करना शुरू करते हैं, तो सांप्रदायिक हिंसा की स्थिति में उनका प्रशिक्षण निरर्थक बन जाता है। "दुर्भाग्य से, प्रशिक्षण एक पुलिसकर्मी के कैरियर का सबसे उपेक्षित हिस्सा है। प्रारंभिक प्रशिक्षण से गुज़रने के बाद, अधिकांश पुलिस अधिकारियों को अपने पूरे जीवन में किसी अन्य प्रशिक्षण से गुज़रना नहीं पड़ता और वे 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहते हैं। पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में, आप प्रशिक्षक के रूप में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों को पाएंगे। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आईपीएस अधिकारी अच्छे पुलिसकर्मी हो सकते हैं लेकिन वे अच्छे प्रशिक्षक नहीं होते हैं। भविष्य में, एक पुलिस अधिकारी के केवल शारीरिक डील डौल में ही नहीं, उनकी सोच में भी सुधार करना महत्वपूर्ण है"।

26 फरवरी को, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अजीत डोवाल ने दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की और स्थानीय लोगों की सुरक्षा-संबंधित चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद, अजीत डोवाल ने दंगाग्रस्त उत्तर-पूर्व दिल्ली में स्थिति को "नियंत्रण में" बताया।

लेकिन 55 वर्षीय बाबू खान के लिए, अजीत डोवाल का आश्वासन असल सुरक्षा में तब्दील नहीं हुआ। अजीत डोवाल के दौरे के तुरंत बाद हुई हिंसा में उनके दो बेटे मारे गए। दिल्ली पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है , जिसमें अभी तक सभी हिन्दू हैं।

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया से बात करते हुए, बाबू खान ने कहा, "*सब कुछ शांत हो जाने के बाद, अजीत डोवाल यहाँ आए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमें चिंता करने की कोई ज़रुरत नहीं है और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। [मुख्य धारा] मीडिया ने इसे बड़े पैमाने पर उछाला। मेरे बेटे बहुत छोटे थे और हालातों को नहीं समझते थे। अगर उन्होंने मुझसे बात की होती तो मैं उन्हें घर न आने के लिए कहता। जब वे अगले दिन घर लौट रहे थे, दंगाइयों ने मेरे बेटों को बाइक पर लेटा दिया और उनके सिर और चेहरे पर वार किया। उनके शरीर पर गहरे घाव थे। तलवार से उनके सिर पर अनगिनत वार किए गए। यह कम से कम 10-15 लोगों की करतूत थी*।"

ऐसा प्रतीत होता है कि यह दंगे स्वतः भड़कने वाले दंगे नहीं थे। इनमें मरने वालों में हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की संख्या लगभग तीन गुना है। मुसलमानों को व्यापार और संपत्ति के नुकसान का ख़ामियाज़ा भी भुगतना पड़ा। लेकिन हिंदुओं की दुकानें और घर भी पूरी तरह से अछूते नहीं रहे, भले ही उनका अनुपात कम रहा हो।

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने रूप सिंह से बात की, जो शिव विहार में डीआरपी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल के कार्यवाहक (केयरटेकर) हैं, जिसके मालिक एक हिंदू हैं। दंगों के दौरान 24 और 25 फ़रवरी को स्कूल में तोड़-फोड़ की गयी थी। दंगे के दौरान स्कूल में भी तोड़-फोड़ की गई थी। उन्होंने याद करते हुए बताया, "*मैंने बगल के राजधानी स्कूल में से हमारे परिसर में दो रस्सियों को लटकते हुए देखा और लगभग 40-50 लोग नीचे उतर रहे थे। वे 'नारा-ए-तदबीर, अल्लाह हू अकबर' के नारे लगा रहे थे। उन्होंने गेट खोला और उसके बाद और ज़्यादा आदमी अंदर आ गए। उन्होंने एक देसी बंदूक से मेरी तरफ़ गोली चलायी। उन्होंने कहा, 'वो रहा एक हिंदू, मार डालो उसे'*।

स्कूल के कार्यवाहक द्वारा दिल्ली पुलिस को बेतहाशा फ़ोन किये जाने पर उन्हें भी वही जवाब मिला जो दूसरों को मिला। लेकिन दूसरों के विपरीत, रूप सिंह को दंगों के दौरान पुलिस के सामने पेश आने वाली चुनौतियों के प्रति अधिक सहानुभूति है। *"पुलिस ने कहा कि वे रस्ते में थे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया। दंगाइयों ने पुलिस को घुसने नहीं दिया। उन्होंने पास के राजधानी स्कूल में एक बड़ा गोफन लगाया था, जिसका इस्तेमाल पेट्रोल बम फेंकने के लिए किया जा रहा था,"* उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को बताया।

(कोष्ठ)
किसी व्यक्ति के बीमार होने या गंभीर रूप से घायल होने पर तुरंत इलाज करने से इनकार करना, या अनुचित देरी से इलाज करना, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार (ICCPR) के अनुच्छेद 12 के तहत उस व्यक्ति के स्वास्थ्य के अधिकार का साफ़ तौर पर उल्लंघन है। इस करार पर भारत ने भी हस्ताक्षर किये हैं। कुछ मामलों में, चिकित्सा देखभाल से इनकार अपने आप में यातना और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार का रूप ले सकता है, खासकर अगर यह देरी या इनकार घायल बंदी से कोई बयान लेने या कुछ कबूल करवाने के मकसद से किया गया हो।
(कोष्ठ)

जब उत्तर-पूर्वी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में दंगे भड़क रहे थे, अधिकांश निजी चिकित्सकों ने अपने क्लीनिक या अस्पतालों पर ताले लगा दिए थे। घायल लोगों के लिए, चिकित्सा देखभाल हासिल करना मुश्किल हो गया था। एंबुलेंस को घुसने से रोकने वाले और सड़कों को अवरुद्ध करने वाले दंगाइयों को तितर-बितर करने में दिल्ली पुलिस की असमर्थता ने इस समस्या को और जटिल बना दिया। लेकिन पुराने (ओल्ड) मुस्तफाबाद के अल-हिंद अस्पताल में दंगा पीड़ितों को प्राथमिक उपचार और बुनियादी चिकित्सा देखभाल दी जा रही थी।

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया से बात करते हुए, अल-हिंद अस्पताल के निदेशक डॉ एम अनवर ने दंगों के दौरान के वक़्त को याद करते हुए कहा, *"उस समय, सभी चिकित्सकों ने अपने दरवाज़े बंद कर दिए थे। सभी स्वास्थ्य केंद्र बंद थे। यह एकमात्र अस्पताल था जिस पर लोग भरोसा कर सकते थे। मैंने पहली मंज़िल पर एक कालीन बिछा दिया और लोगों को उस पर लेटा दिया। हमने लोगों को प्राथमिक उपचार दिया। जिन लोगों के घावों से लगातार खून बह रहा था हमने उन लोगों को टांके लगाए। हमने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि मरीज़ों की हालत और ज़्यादा न खराब हो। हमारे पास आने वाले मामलों में से 75% लोग बंदूक की गोली से घायल हुए थे। कुछ को छर्रों से चोटें लगी थी, कुछ को गोली से। कुछ लोगों का शरीर पूरी तरह कुचल गया था। कुछ ऐसे थे जिनके पैर फट गए थे। इस तरह के कई मामले थे,"* उन्होंने कहा।

लेकिन उनके 15 बेड के अस्पताल में घायलों की संख्या लगातार बढ़ते रहने और दंगाइयों द्वारा एंबुलेंस को अल-हिंद अस्पताल तक पहुंचने से रोके जाने के कारण, डॉ एम अनवर ने दिल्ली पुलिस से एंबुलेंस को सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया ताकि वे घायलों और मृतकों को दूसरे अस्पताल भेज सकें। लेकिन डॉ अनवर ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को बताया कि उन्हें दिल्ली पुलिस से कोई सहायता नहीं मिली।

फिल्म निर्माता राहुल रॉय ने, अपने वकील सुरूर मंदर और चिरायु जैन के ज़रिये दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, जिसने 26 फ़रवरी की आधी रात को एक विशेष सुनवाई का गठन किया। अदालत ने उनके मामले *राहुल रॉय बनाम दिल्ली सरकार* [डब्ल्यू.पी. (सीआरएल) 566/2020] में पुलिस को एम्बुलेंस के लिए सुरक्षित

मार्ग सुनिश्चित करने का आदेश दिया ताकि गंभीर रूप से घायल लोगों को सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया जा सके।

पीड़ितों के लिए राहत और सहायता जुटाने में अहम भूमिका निभाने वाले हर्ष मंदर ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया से बात करते हुए कहा, *"हमने पाया कि पुलिस जवाब ही नहीं दे रही थी। आखिरकार, हमारे एक वकील को आधी रात को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। जैसा कि हम जानते हैं, उन्होंने एक बेंच (पीठ) का गठन किया। उनके द्वारा पुलिस को एम्बुलेंस के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के आदेश दिए जाने के बाद ही लोगों को बचाने का काम शुरू किया जा सका। यह बहुत दुःख की बात है कि पुलिस के इस बुनियादी काम के लिए भी दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ को हस्तक्षेप करना पड़ा"*।

1 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में हुए दंगों की अपनी जांच के तहत डॉ एम अनवर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। दिल्ली पुलिस ने डॉ एम अनवर पर मुस्तफाबाद में एक सीएए-विरोधी विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने का आरोप लगाया है, जहाँ कथित रूप से हिंसा उकसाने और फैलाने वाले घृणापूर्ण भाषण दिए गए, जिसमें दंगे के दौरान एक 20-वर्षीय व्यक्ति की हत्या भी शामिल थी।

हिरासत में यातना या अन्य प्रकार का क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक बर्ताव

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में दंगा पीड़ितों और बंदियों के साथ की गयी यातना और अन्य दुर्व्यवहारों का दस्तावेज़ीकरण किया है। हमने दंगे से प्रभावित कई लोगों से बात की जिन्हें हिरासत में यातना दी गयी थी। उनमें से ज्यादातर मुसलमान थे।

(कोष्ठ)

अत्याचार और अन्य क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक बर्ताव या सज़ा के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र करार (UNCAT) के तहत यातना प्रतिबंधित है। इस करार पर भारत ने भी तो हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन इसका अंगीकरण नहीं किया गया है।

इस क़रार के तहत भेदभाव को यातना की परिभाषा का एक अनिवार्य तत्व माना गया है। मानसिक या शारीरिक हिंसा या दुर्व्यवहार का भेदभाव-पूर्ण उपयोग किसी भी कृत्य के यातना होने या न होने के बारे में निर्धारण का एक महत्वपूर्ण आयाम है।

अल्पसंख्यकों के संदर्भ में, यातना के खिलाफ गठित समिति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि, "यातना दिए जाने के ख़तरे का अधिक सामना करने वाले कुछ अल्पसंख्यकों या हाशिए के व्यक्तियों या समुदायों का ख़ासतौर पर संरक्षण यातना और दुर्व्यवहार को रोकने के दायित्व का एक अहम हिस्सा है"।[2]
(कोष्ठ)

एमनेस्टी इंटरनेशनल की क्राइसिस एविडेंस लैब द्वारा सत्यापित किए गए कुछ अन्य वीडियो में, दिल्ली पुलिस को खुरेजी ख़ास में सीएए-विरोधी प्रदर्शनों को बंद करवाने के लिए वहाँ जमा लोगों पर बंदूक ताने हुए और एक पेट्रोल

---

[2] कमिटी अगेन्सट टॉर्चर, जनरल कॉमेंट 2, इंप्लिमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 2 बाइ स्टेट्स पार्टीस, यूएन डॉक. सीएटी/सी/जीसी/2/सीआरपी. 1/रेव. 4 (2007), पेरा. 21.

पंप पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को तोड़ते हुए देखा जा सकता है। संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और सबूत को बदलना या नष्ट करना, साबित होने पर, भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध बनता है।

प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण बनाए रखने और बल का कम से कम उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस की ज़िम्मेदारी बनती है कि वे प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत और संवाद करें।

26 फ़रवरी को, पैदल विरोध स्थल की ओर आ रहे मानवाधिकार कार्यकर्ता ख़ालिद सैफी को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने का दृश्य भी वीडियो पर रिकॉर्ड किया गया। पुलिसकर्मी उन्हें पास के पुलिस थाने ले गए।

सैफी के परिवार का दावा है कि उन्हें हिरासत में यातना दी गई, फ़िर एक अस्पताल ले जाया गया और उसी रात पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर की पार्किंग में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया।

न्यायिक हिरासत ख़त्म होने के बाद, 11 मार्च को जब ख़ालिद सैफी को फिर से अदालत में पेश किया गया, तो दिल्ली पुलिस उन्हें व्हीलचेयर पर लेकर आयी। छह महीनों के बाद भी ख़ालिद सैफी जेल में ही बंद है। दिल्ली पुलिस ने ख़ालिद सैफी को दमनकारी गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया है। (यूएपीए एक समस्यात्मक कानून क्यों है और इसे क्यों निरस्त किया जाना चाहिए, इसके बारे में अधिक जानने के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं।)

घटनाक्रम को याद करते हुए ख़ालिद सैफी की पत्नी, नरगिस सैफी ने कहा, *"जब मैं अपने पति से मिलने गई, तो मैंने उन्हें व्हीलचेयर पर बैठे हुए पाया! एक आदमी जो अपने घर से पैदल चल कर गया, जिसे सड़क पर चलते समय गिरफ्तार किया गया था, जिसे पुलिस स्टेशन तक चलने के लिए कहा गया...मैंने उसे व्हीलचेयर पर अपने दोनों पैरों पर पट्टियों के साथ पाया। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें बहुत यातना दी गयी। मुझे नहीं लगता कि अपराधियों के साथ भी इस तरह का बर्ताव किया जाता होगा"*।

वीडियो पर रिकॉर्ड किये गए और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर डाले गए उल्लंघनों के अलावा, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने दंगों के दौरान प्रभावित हुए अन्य परिवारों के साथ भी बातचीत की। हमने पाया कि मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, गैरकानूनी हिरासत और गिरफ्तार किये गए लोगों से साथ हिरासत में यातना की श्रेणी में आने वाली बदले से प्रेरित हिंसा का एक स्पष्ट पैटर्न उभर कर सामने आता है। हिरासत में रखे/गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के परिवारों को उनकी हिरासत/गिरफ्तारी के बारे में सूचित नहीं किया गया था।

अतहर, एक दंगा पीड़ित, जिसे इसी तरह से हिरासत में रखा गया था और दिल्ली पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया था, ने कहा, *"मैं 24 फरवरी को काम से घर लौट रहा था। मेरी माँ ने मुझे दंगों की वजह से घर वापस लौटने के लिए कहा था। जब मैं रास्ते में था, तो पुलिस ने मुझे रोक कर मुझसे पूछा कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान? जब मैंने कहा कि मैं एक मुसलमान हूँ, वे मुझे एक वैन में दयालपुरी पुलिस स्टेशन ले गए। उस वैन में करीब 25 अन्य लोग भी थे। वे कहते रहे, "आज़ादी चाहिए तुम्हें?" और हमें मारते-पीटते रहे। हमें अगले चार दिनों तक प्रताड़ित किया गया। उन्होंने मुझे और दूसरों को लाठी और बेल्ट से पीटा। फिर 28 फरवरी को उन्होंने मुझे अदालत में पेश किया। मैं दो हफ्ते बाद जमानत पर रिहा हो पाया।"*

दिल्ली पुलिस पर वकीलों और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार और उन पर हमला करने के आरोप भी लगाए गए है। एक गैर-सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क (मानवाधिकार कानून नेटवर्क) के एक वकील सनी तायेंग ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को बताया कि उन्हें और उनके अन्य साथी वकीलों को, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी पुलिस स्टेशन में गैर-कानूनी हिरासत में रखे गए उनके मुवक्किलों से बात करने की अनुमति नहीं दी गयी। जब वकीलों ने आपत्ति जताई तो पुलिस वालों ने उन पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। *"मैं इसे वीडियो पर रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी। अचानक, एक पुलिसकर्मी जिसने हेलमेट पहना था और जिसने नाम का बिल्ला नहीं पहना हुआ था, उसने मेरा फोन छीना और भाग गया। मैं उसके पीछे गयी और अपना फोन वापस देने के लिए कहा लेकिन उसने मेरा फोन वापस देने से इनकार कर दिया। मैं उस पर चिल्लायी लेकिन उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, इसलिए मुझे वहाँ से भागना पड़ा। हमारे कई साथियों को पुलिस स्टेशन के बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा, 'अगर आप बाहर नहीं गए, तो हम आपको मारेंगे'। कोई दूसरा रास्ता नहीं था, हमें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा,"* उन्होंने कहा।

हिरासत में रखे गए लोगों को वकीलों, परिवार के सदस्यों और डॉक्टरों से मिलने देना उनका अधिकार है और यह यातना और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय भी है। इस अधिकार का उल्लंघन हिरासत को संपर्करहित बना देती है जो अपने आप में एक दुर्व्यवहार है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने पुलिस द्वारा कथित रूप से गोलीबारी में अपनी आँखें खो देने वाले एक दंगा पीड़ित के भाई से भी बात की। *"मैं तुरंत उसे अस्पताल ले गया जहाँ डॉक्टर ने हमें बताया कि उसकी दोनों आँखें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। मैं फिर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने गया, यह सोचकर कि हमें सरकार से कुछ मुआवजा मिल सकता है। मुझे यह कहने में डर लग रहा था कि पुलिस ने मेरे भाई पर गोली चलाई थी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं पता कि यह किसने किया लेकिन मेरे भाई की दोनों आँखें चली गयी हैं। तब पुलिस ने कहा कि उनके पास मेरे भाई का पथराव करते हुए एक वीडियो है और फ़िर उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेश किए जाने के बाद उसे जमानत मिल गई और अब वह हमारे साथ घर पर है। उसने हमें बताया कि पुलिस ने उसे हिरासत में प्रताड़ित किया था। हम पुलिस के खिलाफ किसी भी जांच की माँग नहीं करना चाहते हैं। वैसे भी क्या होने वाला है?"* उनके भाई ने पूछा।

दंगों के बाद पुलिस द्वारा उत्पीड़न और डराया-धमकाया जाना
(कोष्ठ)
कानून लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा उल्लंघनों के मामलों में दण्डमुक्ति एक जटिल और गहरी समस्या है जिसके पीछे कई ढाँचागत विफलताएँ है। इनमें त्वरित, विस्तृत, प्रभावी और निष्पक्ष जांच करने और अपराधियों को सजा दिलाने में पुलिस या न्यायिक अधिकारियों की विफलता और प्रभावी निवारण के अधिकार को सुनिश्चित करने में विफलता शामिल है।

उदाहरण के तौर पर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत, संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना अनिवार्य है। भारतीय दंड संहिता के तहत, दंगा करना, संपत्ति नष्ट करना, हत्या, गंभीर हमला या गंभीर हमले की कोशिश संज्ञेय अपराध हैं। वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान देना भी एक संज्ञेय अपराध है।
(कोष्ठ)

8 जुलाई को, विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध) प्रवीर रंजन ने दंगों की जांच कर रही जांच टीमों को एक आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि "हिंदू आक्रोश" को रोकने के लिए, देश की राजधानी में फरवरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तारियाँ करते हुए "उचित सावधानी और एहतियात" बरती जानी चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए इस आदेश को 'हानिकर' करार दिया। हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्त में इस आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया, लेकिन अदालत ने कहा, "यह भी सुझाव दिया जाता है कि जांच अधिकारियों को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी किए गए ऐसे किसी भी, कानूनी तौर पर गैर-मान्यता प्राप्त निर्देश के आधार पर कोई पूर्वाग्रह नहीं बनाना चाहिए"।

दंगा पीड़ितों और हिरासत में रखे गए लोगों के मामलों को देख रहे वकीलों ने, नाम ज़ाहिर न करने की शर्तों पर, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को बताया है कि दंगों के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किये गए लोगों में मुसलमानों का अनुपात कहीं ज़्यादा है।

दंगा पीड़ितों का यह भी कहना है कि दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को अवैध रूप से हिरासत में लेने और उनसे खाली कागज़ों पर हस्ताक्षर करवाने के ज़रिये, उन्हें धमकाया और उत्पीड़ित किया। बंदियों के मामले देख रहे वकीलों ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को बताया है कि दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट दिखाए बिना लोगों को गिरफ्तार करके और पुलिस पूछताछ के दौरान कानूनी सहायता तक उनकी पहुंच को सीमित करके, निष्पक्ष जाँच प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया।

नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया से बात करते हुए एक वकील ने कहा, "*हमने पुलिस के साथ वीडियो साझा किए हैं जिनके ज़रिये दंगाइयों की आसानी से पहचान की जा सकती है। लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। यह साफ़ हो गया है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने वालों में से अधिकांश व्यक्ति मुसलमान हैं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके परिवार वाले हमें मदद के लिए फ़ोन करते रहते हैं लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं? उनका कहना है कि वे दंगा पीड़ित हैं लेकिन पुलिस उन्हें ही गिरफ्तार कर रही है। हम वकील के रूप में असहाय हैं। जब पुलिस इस तरह एक समुदाय को निशाना बनाती है तो समुदायों के बीच आपसी विश्वास टूट जाता है*"।

शबनम, शिव विहार निवासी एक दंगा पीड़ित है जिसने दंगों के दौरान आगजनी में अपना सब कुछ खो दिया। उनके पति अब मुआवज़े के लिए दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। दंगों के बाद, उनके 54 वर्षीय पिता को दिल्ली पुलिस ने गैर-कानूनी रूप से हिरासत में लिया था। इस्लामी अध्येताओं के एक स्थानीय संगठन, जमीयत-ए-उलमा हिंद के हस्तक्षेप के बाद ही उन्हें रिहा किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया से बात करते हुए, उन्होंने कहा, "*मेरे पिता को 9 मार्च को क्राइम ब्रांच द्वारा लगभग 4 से 5 बजे के बीच उठाया गया था। उन्हें खुरेजी खास पुलिस थाने ले जाया गया। उन्होंने उनसे एक ख़ाली कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। मेरे पिता ने उन्हें पहले उस कागज़ पर कुछ लिखने के लिए कहा। लेकिन वे नहीं माने। मेरे पिता ने कोरे कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए। उन्होंने मेरे पिता का फोन जब्त कर लिया था और इसलिए हम उनसे संपर्क नहीं कर पाए। हमें उनकी जान का डर था लेकिन हम रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे*"।

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने दंगा प्रभावित इलाकों के अन्य निवासियों से भी बात की। चमन पार्क के एक निवासी निजामुद्दीन ने बताया, "*जब मैं घर पर नहीं था उस वक़्त पुलिस हमारे घरों में घुस आई। जब उन्होंने हमारे पूरे सामान की तलाशी ली, तब मेरी पत्नी और दो बच्चे घर पर थे। बाद में, वे मुझे उठाकर थाने ले गए। उन्होंने मुझे*

एक कोरे काग़ज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा और कहा कि जब भी वे फोन करें तो मुझे पुलिस स्टेशन आना होगा"।

नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर, एक अन्य वकील ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को बताया कि दंगों में अल्पसंख्यक समुदाय के सबसे ज़्यादा प्रभावित होने के बावजूद, दंगों के तुरंत बाद ही दिल्ली पुलिस ने बड़े पैमाने पर मुसलमानों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। *"पुलिस [मुसलमानों को] डराने और पुलिस का भय पैदा करने के लिए ऐसा कर रही है। यह बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों को बचाने के लिए किया जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज न की जाए यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय में यह डर है कि अगर हम पुलिस स्टेशन जाते हैं और किसी हिंदू के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हैं, तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा"*।

जिस लड़के की दंगों में आँखें चली गयी थी उसका मामला लड़ रहे वकील ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को बताया कि इस मामले में दंगा पीड़ित को जमानत इसलिए मिल पायी क्योंकि उसे तत्काल इलाज की ज़रुरत थी। लेकिन, अन्य दंगा पीड़ितों को भारतीय दंड संहिता के गैर-ज़मानती प्रावधानों के तहत दंगा करने के आरोप में गैर-ज़िम्मेदाराना तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा था। *"आप उस लड़के के मामले को देखें जिसने अपनी दोनों आँखें खो दीं। उसका भाई शिकायत दर्ज करने गया ताकि उन्हें मुआवजा मिल सके लेकिन देखो उनके साथ क्या हुआ। पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया। जिन धाराओं का उन्होंने इस्तेमाल किया है वे हैं -धारा 147, 148, 149 और 436। इनमें से कुछ धाराएँ गैर-ज़मानती हैं। बाकी के अन्य लोगों को भी इन्हीं धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। उस लड़के को जमानत मिल गई क्योंकि उसने अपनी दोनों आँखें खो दीं और उसे आगे इलाज की ज़रुरत है,"* वकील ने कहा।

(कोष्ठ)
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत राज्यों के लिए यह आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाए। जिन व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, उन्हें क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराए बिना, एक प्रभावी निवारण उपाय प्रदान करने के राज्यों के दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति के अनुसार, उपयुक्त क्षतिपूर्ति में पुनर्स्थापन, पुनर्वास और संतुष्टि के उपाय शामिल किये जा सकते हैं, जैसे सार्वजनिक तौर पर माफी माँगना, सार्वजनिक स्मारक स्थापित करना, गैर-पुनरावृत्ति की गारंटी देना और संबंधित क़ानूनों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन किया जाना, और साथ ही साथ मानवाधिकार उल्लंघन के अपराधियों को दण्डित करना।

यह स्पष्ट है कि दंगों के दौरान और उनके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों के व्यापक पैमाने को देखने के बाद उन्हें खुद अपने पर ही लगाए आरोपों की जांच करने की ज़िम्मेदारी दिल्ली पुलिस को नहीं दी जा सकती है। दंगा पीड़ितों के दमन तथा दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को हासिल व्यापक दण्डमुक्ति के निवारण का काम भी दिल्ली पुलिस के ज़िम्मे नहीं सौंपा जा सकता है।
(कोष्ठ)

दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस की भूमिका की स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच क्यों ज़रूरी हैं

कोई भी कानून से ऊपर नहीं है - विशेष रूप से वे जो क़ानून बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार हैं।

यह बहुत ही कम होता है कि देश में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान पुलिस अधिकारियों को उनकी भागीदारी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। 1987 के हाशिमपुरा नरसंहार मामले में, 31 साल बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 अधिकारियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दिल्ली में, 1980 के बाद से दो बड़ी सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएँ हुई हैं: 2020 के दंगे और 1984 का सिख नरसंहार। 1984 के सिख नरसंहार में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में सिखों का क़त्ले-आम देखा गया था। सिखों के खिलाफ हुई हिंसा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के जवाब में की गयी थी। सरकार का अनुमान है कि सिर्फ दिल्ली में लगभग 2,800 सिख मारे गए।

दिल्ली पुलिस पर तीखा वार करते हुए, 1984 के सिख-विरोधी दंगों की जांच कर रही न्यायमूर्ति एस.एन. ढींगरा समिति ने नवंबर 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि दिल्ली पुलिस नरसंहार के पीड़ितों को न्याय दिलाने में "बुरी तरह विफल" रही। समिति ने अदालत को बताया कि, "ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस और प्रशासन का पूरा प्रयास दंगों से जुड़े हुए आपराधिक मामलों को दबाने का था"।

26 फरवरी 2020 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में शाहीन बाग की रोड नाकाबंदी को हटाने की मंजूरी और दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता की कोर्ट की निगरानी के तहत जांच की माँगों के साथ दायर की गयी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान, न्यायाधीशों ने अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा, "*पुलिस की निष्क्रियता के बारे में, मैं कुछ खास बातें कहना चाहता हूं। अगर मैं यह बातें नहीं कहूँगा, तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करूँगा। मेरी निष्ठा इस संस्थान के प्रति है, इस देश के प्रति है। समस्या पुलिस में स्वतंत्रता और पेशेवर तरीके से काम करने के अभाव की है। अगर ऐसा पहले ही किया गया होता, तो यह स्थिति नहीं पैदा होती। देखिए ब्रिटेन में पुलिस कैसे काम करती है। यदि कोई भड़काऊ टिप्पणी करता है, तो तुरंत पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है। वे आदेशों की प्रतीक्षा नहीं करते। पुलिस को अनुमति के लिए यहां-वहां नहीं देखना चाहिए*"।

1984 के सिख नरसंहार और 2020 के दिल्ली दंगे, दोनों में दिल्ली पुलिस ने सरकार की तरफ से दण्डमुक्ति के आश्वासन का फायदा उठाते हुए कई मानवाधिकार उल्लंघन किये। दिल्ली पुलिस को जवाबदेह ठहराए जाने के लिए सरकार को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। 2020 के दंगों के ठीक पहले हिंसा की वकालत करने वाले घृणापूर्ण राजनीतिक भाषण देने वाले राजनीतिक नेताओं को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

"*दण्डमुक्ति का माहौल, पुलिस और अपने भाषणों में हिंसा की वकालत करने वाले राजनेताओं को यह संदेश भेजता है कि भविष्य में भी मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए उन्हें ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। इस राज्य-प्रायोजित दण्डमुक्ति को समाप्त किया जाना चाहिए। पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं पर स्वतंत्र, विस्तृत, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच प्रक्रिया का गठन किया जाना चाहिए और यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो उन पर आपराधिक मुकदमा चलाए जाने चाहिए। तभी हिंसा के इस दुष्चक्र को रोका जा सकेगा और पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों को न्याय मिलेगा*", अविनाश कुमार ने कहा।

सिफ़ारिशें

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया **गृह मंत्रालय** से माँग करता है कि:-

- कानून लागू करने वाले अधिकारियों पर मानवाधिकार उल्लंघनों के सभी आरोपों में त्वरित, विस्तृत, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो, जिनमें बल के अत्यधिक उपयोग, यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक बर्ताव या सजा, चरम दक्षिण-पंथी समूहों द्वारा हमलों से दंगा पीड़ितों और अन्य व्यक्तियों की रक्षा करने में विफलता और आग्नेयास्त्रों के गैर-कानूनी इस्तेमाल के आरोप भी शामिल हैं।
- 23 से 29 फरवरी 2020 के बीच, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा को रोकने में विफल रहने और हिंसा के फ़ैलने में दिल्ली पुलिस की भूमिका की समीक्षा के लिए एक पूरी तरह से स्वतंत्र, सार्वजनिक और पारदर्शी जांच प्रक्रिया स्थापित करें। इस जांच का पुलिस विभाग के साथ कोई संरचनात्मक या संगठनात्मक संबंध नहीं होना चाहिए और इसके लिए घटना-स्थल का दौरा करने और गवाहों को बुला सकने के लिए पर्याप्त अधिकार और संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए।
- जांच/पूछताछ ख़त्म होने तक प्रभावित समुदायों द्वारा जिन पुलिस अधिकारियों के नाम लिए गया है, उन्हें निलंबित किया जाए।
- घृणा-आधारित अपराधों और सांप्रदायिक हिंसा पर, पीड़ितों की ख़ास ज़रूरतों पर और भेदभाव से लड़ने और लोगों की इससे रक्षा करने में पुलिस की भूमिका पर, सभी पुलिस अधिकारियों को सेवा-अवधि के दौरान समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- नागरिक समाज से परामर्श के साथ, अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ घृणा-आधारित अपराधों को रोकने के उद्देश्य से एक व्यापक रणनीति बनाई जानी चाहिए।
- नागरिक समाज से परामर्श के साथ, कानून लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा बल और आग्नेयास्त्रों के उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किये जाने चाहिए।
- *प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ* के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुलिस सुधार से संबंधित जारी किये गए दिशा-निर्देशों को लागू किया जाना चाहिए।

हम भारत के **प्रधान मंत्री और विदेश मंत्रालय** से माँग करते हैं कि:

- बिना किसी हिचकिचाहट के, अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र करार (UNCAT) पर तुरंत हस्ताक्षर किये जाएँ और उसे लागू करने के लिए, यातना को अपराध घोषित करने वाला एक घरेलू कानून बनाया जाए।

  UNCAT के तहत, राज्यों द्वारा घरेलू कानून में यातना को अपराध के रूप में शामिल करना, राज्य के भीतर होने वाले यातना के कृत्यों पर अधिकार क्षेत्र स्थापित करना, यातना को एक प्रत्यर्पणीय अपराध का दर्जा देना, राज्य के अंदर यातना के किसी भी आरोपों की जांच करना और यातना पीड़ितों को प्रभावी और लागू किये जा सकने वाले निवारण उपाय प्रदान करना, आवश्यक है।

हम **भारत की संसद** से अपील करते हैं कि:

- राज्य और केंद्र स्तर पर पुलिस को नियंत्रित करने वाले क़ानूनों में संशोधन किया जाए, ताकि जिन आधारों पर पुलिस सांप्रदायिक हिंसा की जांच और लोगों को गिरफ्तार और हिरासत में ले सकती है, उन्हें और सख्त बनाया जा सके, और जाति, धर्म, नस्ल, लिंग और राजनीतिक राय के आधार पर गिरफ्तारी में भेदभाव को स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया जा सके।

- राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर आपराधिक क़ानूनों में संशोधन किया जाए, जिसके ज़रिये अपराध को अंजाम देने के पीछे किसी भी संभावित भेदभावपूर्ण मकसद की जांच किये जाने को, पुलिस अधिकारियों के दायित्व के रूप में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

हम **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** से अपील करते हैं:

- राज्य और शहर के पुलिस मुख्यालयों में मानवाधिकार सेलों की स्थापना पर आयोग की सिफ़ारिशें को लागू करने के लिए कदम उठाये जाएँ।

  मानवाधिकार सेल पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों पर निगरानी रखते हैं। यह सेल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो भारत का प्रमुख मानवाधिकार निगरानी निकाय है, उसके और राज्य के पुलिस विभागों के बीच एक पुल का काम करते हैं।